सं. 19/4/2017-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

***

द्वितीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली, 06 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : (i) सामाजिक रूप से उन्नत स्तर (क्रीमी लेयर) हेतु मानदंडों को स्थापित करने के लिए पीएसयू, बैंक, बीमा संस्थानों में पदों की सरकारी पदों के साथ समानता बनाना।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप उन्नत लोगों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर करने के लिए आय मानदंडों का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 28.09.1993 के पत्र सं. 14/1:93 एससीटी (बी)के जिसके साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 का कार्यालय ज्ञापन अग्रेषित किया गया था जो कि भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में था का हवाला देने का निदेश हुआ है। डीओपीटी के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा;सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के श्रेणी ।। सी में परिकल्पना की गई थी कि पीएसयू, बैंक बीमा संगठनों इत्यादि में पदों के बीच सरकार में पदों के साथ समानता स्थापित की जाएगी।

2. सरकार ने हाल ही में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर मानदंड स्थापित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंक, बीमा संस्थाओं में पदों की सरकार में पदों के साथ समानता स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की है। सरकार ने डीओपीटी के दिनांक 06.10.2017 के का.ज्ञा.सं. 41034/5/2014-स्था.(आरईएस.) वॉल्यूम.IV भाग, (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यथा सूचित किए गए अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) के संबंध में समानता निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को अनुमोदित किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान है:-

(क) पीएसबी/पीएफआई, पीएसआईसी के कनिष्ठ प्रबंधन स्केल-। को भारत सरकार में समूह-क के समान माना जाएगा और

(ख) पीएसबी/पीएफआई/पीएसआईसी में लिपिक एवं चपरासी को भारत सरकार में समूह-ग के समान माना जाएगा।

3. इसके अलावा, डीओपीटी के दिनांक 13.09.2017 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस.) द्वारा अ.पि.वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय सीमा को 01 सितम्बर, 2017 से 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 8 लाख रूपये किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न)।

4. उपर्युक्त अनुदेशों के सख्ती से अनुपालन के लिए, इस विभाग को सूचित करते हुए, आपके संगठन के सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

5. इसे सचिव (वित्तीय सेवाएं) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23748725

संलग्नक : यथा उपर्युक्त

सेवा में,

1. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
2. सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां के अध्यक्ष
3. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई
4. मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडीडी) आरबीआई, मुम्बई
5. अध्यक्ष पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) प्र.का. हैदराबाद।
6. अध्यक्ष, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) प्र.का. हैदराबाद।
7. अध्यक्ष, आईबीए, मुम्बई।

प्रतिलिपि :

1. आईआर अनुभाग
2. पीएसबी/पीएफआई/पीएसआईसी में सरकार के सभी नामिती निदेशक।
3. आरआरबी को ऐसे ही अनुदेश जारी करने के लिए आरआरबी अनुभाग को।
4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (श्री जी.श्रीनिवासन, उप सचिव) को उनके दिनांक 13.09.2017 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013- स्था.(आरईएस.) तथा दिनांक 06.10.2017 के का.ज्ञा.सं. 41034/5/2014- स्था.(आरईएस.) वॉल्यूम.IV भाग के संदर्भ में।
5. संयुक्त सचिव (श्री बी.एल.मीणा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
6. वित्तीय सेवाएं विभाग के एससी/एसटी/ओबीसी के सी.एल.ओ./एल.ओ.
7. वित्तीय सेवाएं विभाग के नोटिस बोर्ड
8. वित्तीय सेवाएं विभाग के एनआईसी प्रकोष्ठ को इस विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
9. गार्ड फाइल।

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार